

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :- जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :- 25/2013

हनुमान सहाय पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्रह्मण जोशी निवासी लाखनी तहसील शाहपुरा
हाल निवासी बी-58 सीकर हाउस जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
 2. गोपाल कृष्ण पुत्र प्रभुदयाल
 3. कैलाश चन्द पुत्र प्रभुदयाल
 4. गिरीराज पुत्र प्रभुदयाल
 5. रविशंकर पुत्र प्रभुदयाल
 6. प्रमोद पुत्र प्रभुदयाल
 7. जगदीश पुत्र प्रभुदयाल
 8. उमाकान्त पुत्र प्रभुदयाल
 9. रमाकान्त पुत्र प्रभुदयाल
 10. कृष्णा पुत्री प्रभुदयाल
 11. लीला पुत्री प्रभुदयाल
 12. मनफूली पत्नी प्रभुदयाल
- समस्त जाति ब्रह्मण निवासी लाखनी तहसील शाहपुरा हाल निवासी 138 देवनगर
मुरलीपुरा जयपुर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 651 ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा एवं विरुद्ध
आदेश तहसीलदार शाहपुरा प्रकरण संख्या 07/2012 गोपाल कृष्ण शर्मा बनाम राजस्थान
सरकार आदेश दिनांक 17/5/2012

निर्णय

दिनांक 19-2-21

अपीलान्ट नामान्तरकरण संख्या 651 वाके ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा एवं प्रकरण
संख्या 07/2012 गोपाल कृष्ण शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश
17/5/2012 द्वारा तहसीलदार शाहपुरा से व्यथित होकर अपील निम्नानुसार पेश की है
जिसमें वर्णित तथ्य इस प्रकार पेश हैं :-

ग्राम लाखनी तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 119, 120, 121, 446, 516, 517, 118
कुल किता 7 कुल रकबा 2.13 एवं ग्राम लाखनी लेटकाबास तहसील शाहपुरा में आराजी
ख.नं. 179, 180, 181, 320, 322, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 973, 1021 व
1031 कुल किता 15 कुल रकबा 4.57 स्थित ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा जिला
जयपुर में स्थित जिसके रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के भाई
महादेव प्रसाद हरिप्रसाद प्रभुदयाल व हिस्सा बराबर है। रेस्पोडेन्ट हरिप्रसाद प्रभुदयाल की
मृत्यु हो चुकी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहां वाद संख्या 15/2010
बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अपीलान्ट ने अपने तीन भाईयों के विरुद्ध पेश किया था
जो सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां विचाराधीन है। उक्त वाद में हरिप्रसाद व
प्रभुदयाल के वारिसान् रिकॉर्ड पर आ चुके है एवं प्रतिवादी को सम्मिलित खाते की भूमि से

रहन बेचना के लिए पाबन्द किया हुआ है। हरिप्रसाद व प्रभुदयाल की मृत्यु हो चुकी है। हरिप्रसाद के पुत्र सीताराम शर्मा व प्रभुदयाल के पुत्र गोपाल कृष्ण शर्मा ने तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष क्रमशः 06/2012 व 7/2012 अन्तर्गत धारा 135(2) एल.आर. एक्ट हरिप्रसाद के द्वारा दिनांक 07/12/2010 को एक अपजिकृत वसियतनामा बताकर व इसी तरह प्रभुदयाल शर्मा के द्वारा दिनांक 07/12/2010 को ही एक अपजिकृत वसीयतनामा बताकर उक्त अपजिकृत वसियतनामा के आधारों पर तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा विवि विरुद्ध क्षेत्राधिकार के बहार विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए बिना कोई नोटिस जारी किये बिना हिस्सेदारान् को सूचित किये मनमाने तरीके से उक्त दोनों प्रकरणों में दिनांक 17/5/2012 को आदेश पारित कर दिया जिसके आधार पर नामा.सं. 650 व 651 दिनांक 17/5/2012 को रेस्पोंडेन्ट के पक्ष में निस्पादित कर तस्दीक कर दिया, जिससे व्यथित होकर नामा.सं. 651 के विरुद्ध यह अपील निम्न आधारों पर पेश हैं :-

1. यह है कि नामा.सं. 651 विधि विरुद्ध प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए तस्दीक किया गया है। तहसीलदार के द्वारा क्षेत्राधिकार से बहार जाकर विधि विरुद्ध कार्यवाही की है। इसलिए नामा. खारिज योग्य है।
2. यह है कि अपजिकृत वसीयतनामा के आधार पर यह नामा. तस्दीक किये गये है, जिसके लिए सार्वजनिक सूचना नहीं निकाली गयी ना ही विधि प्रक्रिया की अनुपालना की गयी तथा दो प्रकरण 6/12 तथा 7/12 एक ही तिथि को दर्ज हुए प्रकरण 6/12 का आवेदन सीताराम व प्रकरण संख्या 7/12 का आवेदन गोपाल कृष्ण शर्मा एक दूसरे के पक्ष में गवाह हो गये एवं झुटे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामा. तस्दीक करा दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां वाद संख्या 1265/2010 एवं प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा 1055/2010 हनुमान सहायक बनाम महादेव प्रसाद विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है जिसमें यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में जो जवाब दावा पेश किया है उसमें उक्त वसियत नामा. का कोई जिक्र नहीं है एवं हरिप्रसाद के सभी वारिसान अपने आपको खातेदार काश्तकार बताया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कूट रचित व फर्जी दस्तावेजात् पेश कर उसके आधार पर नामा. तस्दीक हुआ है तथा जब न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तो नामान्तरकरण की कार्यवाही भी नहीं की जा सकती है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मिलीभगत व साज करके आदेश पारित किया है। इसलिए नामा. खारिज किये जाने योग्य है।
4. यह है कि तहसीलदार शाहपुरा ने पत्रावली का अवलोकन एवं साक्ष्य को सही तरीके से नहीं देखा तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने निर्णय 17/5/2012 में हरिप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल जोशी द्वारा अपजिकृत वसियतनामा 7/12/2010 का प्रस्तुत करना बताया साक्ष्य में गोपाल कृष्ण शर्मा व रामेश्वर पुत्र शंकर लाल कुम्हार के दो शपथ-पत्र दिनांक 14/5/2012 के प्रस्तुत किये हुये हैं जिसमें वसीयत की तिथि 14/11/2011 अंकित की गयी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा मनमाने तरिके से यह साबित हो जाता है कि वसीयतनामा फर्जी है उसके बावजूद भी नामा. तस्दीक किया जो खारिज किये जाने योग्य है।
5. उक्त नामा. स्वीकार करते समय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपीलान्ट को नामा. के सम्बन्ध में कोई नोटिस जारी नहीं किया इसलिए जानकारी प्राप्त नहीं हुयी। दिनांक 06/3/2013 को पटवारी हल्का को इस नामा. की जानकारी हुयी। उसी रोज प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु निवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 08/3/2013 को प्राप्त हुयी जिसके उपरान्त बिना देरी किये विधिक सलाह लेने के पश्चात् अन्दर अवधी 30 दिवस यहा दफा-5 प्रार्थना-पत्र के अपील प्रस्तुत है।

6. यह है कि प्रस्तुत अपील निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है जो श्रीमान् माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामा.सं. 651 ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा विरुद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा प्रकरण संख्या 7/2012 गोपाल कृष्ण शर्मा बनाम राजस्थान सरकार आदेश दिनांक 17/5/2012 निरस्त फरमावें।
7. अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये वकील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समाप्त पायी जाने पर रेस्पोजेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये रेस्पोजेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री रविशंकर अग्रवाल एडवोकेट उपस्थित आये शेष की तामील होने के उपरान्त सुनिल शुक्ला व दीपेन्द्र भारद्वाज द्वारा अन्डरटेकिंग दी उनकी ओर से पावर पेश नहीं हुआ इसलिए उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
8. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत की गयी लिखित बहस एवं अपील के मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में भूमि ख.नं. 179, 180, 181, 320, 322, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 913, 1021 व 1031 का 46 वर्ष से प्रार्थी/अपीलान्त खातेदार काश्तकार है। सहायक कलक्टर शाहपुरा ने वाद संख्या 425/1977 निर्णय 31/10/2000 द्वारा प्रार्थी/अपीलान्त को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। अपीलान्त द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहां बाबत बंटवारा वाद संख्या 15/2010 प्रस्तुत किया जवाब दावे में महादेव प्रसाद हरिप्रसाद प्रभुदयाल ने पैरा संख्या 02 व 03 में प्रार्थी को 1/4 हिस्से का हिस्सेदार मानते हुए अपने हिस्से पर काबिज काश्त माना है। तहसीलदार शाहपुरा ने दिनांक 17/5/2012 को अपने निर्णय में अंकन किया है कि ओकार पुत्र सेडू निवासी लाखनी से उक्त भूमि लेटकाबास व ग्राम लाखनी के खसरा नम्बरान् सन् 1963 में कय की गयी है यह भूमि स्वअर्जित भूमि है जो ओकार नाम का व्यक्ति लाखनी में है ही नहीं तथा पत्रावली में रजिस्टर्ड पंजिन नहीं है। हरिप्रसाद व प्रभुदयाल की मृत्यु हो चुकी है। हरिप्रसाद के पुत्र सीताराम शर्मा व प्रभुदयाल के पुत्र गोपाल कृष्ण शर्मा ने तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 6/2012 व 7/2012 में कार्यवाही अनतर्गत धारा 135(2) एल.आर.एक्ट में हरिप्रसाद के द्वारा 07/12/2010 को अपंजिकृत वसीयतनामा बताया जाकर व इसी प्रकार प्रभुदयाल शर्मा के द्वारा 07/12/2010 को अपंजिकृत वसीयतनामा बताया जाकर उक्त अपंजिकृत वसीयतनामा के आधार पर उक्त दोनों प्रकरणों में दिनांक 17/5/2012 को आदेश पारित कर दिये बिना नोटिस जारी किये तथा बिना हिस्सेदारान् को सुने उक्त निर्णय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित किया है। उक्त आदेश की पालना में नामा.सं. 650 व 651 दिनांक 17/5/2012 को रेस्पोजेन्ट के पक्ष में निस्पादित कर तस्दीक कर दिया, जबकि उक्त वसीयतनामा फर्जी एवं झूठे दस्तावेजों के आधार पर तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 06/2012 व 7/2012 एक ही दिन दर्ज करा लिये तथा आवेदक सीताराम व गोपाल कृष्ण द्वारा एक दूसरे के प्रकरण में गवाह हो गये तथा नामा. तस्दीक करा लिया जो खारिज योग्य है।

न्यायालय सहायक कलक्टर के यहां वाद संख्या 1265/2010 एवं प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का 1055/2010 व उनवान हनुमान सहाय बनाम महादेव प्रसाद में विचाराधीन है उसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। उक्त वाद में वसीयतनामा का कही जिक्र नहीं है। उक्त वाद में हरिप्रसाद के सभी वारिसान् अपने आपको खातेदार काश्तकार बताया है जब न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तो नामा. की कार्यवाही भी नहीं की जाती है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए

मिलीभगत व साज करके उक्त आदेश पारित किये हैं जबकि तहसीलदार को सही तरीके से पत्रावली का अवलोकन कर वसीयतनामा 07/12/2010 तथा साक्ष्य में प्रस्तुत हुए शपथ-पत्र का सही तरीके से अवलोकन कर ही उचित निर्णय पारित करना चाहिए था केवल अपंजिकृत वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा 17/5/2012 को आदेश पारित कर दिये तथा उक्त आदेशों की पालना में नामा.सं. 650 व 651 दर्ज कर दिये जो चलने योग्य नहीं है। इसलिए उक्त आदेश व नामा. खारिज फरमावें।

अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील खारिज फरमायी जाकर नामा.सं. 651 ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा विरुद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा प्रकरण संख्या 7/2012 गोपाल कृष्ण राजस्थान सरकार आदेश 17/5/2012 निरस्त फरमावें।

9. रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा अपीलान्त वकील द्वारा प्रस्तुत बहस में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अभिकथन किया है कि नामा.सं. 651 खातेदार प्रभुदयाल पुत्र कन्हैयालाल के नाम दर्ज 1/4 भाग की खातेदारी प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा पारित आदेश 17/5/2012 के द्वारा तस्दीक किया है। न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा खातेदार की स्वयं अर्जित भूमि मानते हुए प्रभुदयाल द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर बाद जांच उक्त निर्णय 17/5/2012 पारित किया है, जिसमें अन्य वारिसान का अनापत्ति प्रमाण-पत्र है। उक्त नामा.सं. 651 ग्राम लेटकाबास खातेदार प्रभुदयाल के 1/4 हिस्से भाग का उसके पुत्र गोपाल कृष्ण के नाम वसीयत के आधार पर खोला है। अपीलान्त मृत्क प्रभुदयाल का ना तो वारिस एवं ना ही अपीलान्त को अपील करने का अधिकार है। प्रश्नगत नामा. से अपीलान्त के ना तो कोई हक प्रभाति होते है एवं ना ही अपीलान्त को सुना जाना आवश्यक है। अपीलान्त द्वारा उक्त नामा.सं. 651 की दिनांक 06/3/2013 को पटवारी हल्का से जानकारी होने व दिनांक 08/3/2013 को नकल लेकर अपील अन्दर मियाद पेश करने का तथ्य अंकित किया है जो पूर्णतया गलत पेश किया है क्योंकि अपीलान्त को उक्त नामा. की शुरु से ही जानकारी रही है। क्योंकि अपीलान्त हनुमान प्रसाद ने नामा. सं. 651 दिनांक 07/6/2012 व नामा.सं. 650 दिनांक 07/6/2012 एवं तहसीदार शाहपुरा द्वारा वसीयतनामा के आधार पर पारित निर्णय 17/5/2012 की प्रत्यप्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 04/2/2013 को प्रतिलिपि रजिस्टर संख्या 6802 दिनांक 04/02/2013 को प्रस्तुत कर क्रमांक 1200 पर दिनांक 06/02/2013 को नकले प्राप्त की है। इस प्रकार अपीलान्त द्वारा गलत तथ्यों एवं मियाद बहार अपील होने से प्रारम्भिक तौर पर ही अपील खारिज योग्य एवं प्रस्तुत अपील मियाद बहार पेश करने पर अपील पेश होने में देरी (कन्डोन) माफ नहीं की जा सकती है। अतः अपीलान्त की अपील खारिज फरमायी जावें।

10. वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजात् के अवलोकन करने से तथा प्रस्तुत बहस पर मनन करने से पाया कि अपंजिकृत वसीयत के आधार पर प्रभुदयाल पुत्र कन्हैयालाल खातेदार द्वारा 1/4 भू-भाग की स्वयं अर्जित (खरीदशुदा) भूमि अपने पुत्र गोपाल कृष्ण पुत्र कन्हैयालाल के नाम जरिये वसीयतनामा दिनांक 07/12/2010 के द्वारा लिखी गयी है, जिसके आधार पर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 17/5/2012 को गोपाल कृष्ण के नाम करने के आदेश पारित होना पाया जाता है तथा उक्त आदेश की पालना में नामा.सं. 651 ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा दिनांक 07/6/2012 को स्वीकार हुआ है। उक्त आदेश एवं नामान्तरकरण संख्या 651 बाबत अपीलान्त का कथन है कि ग्राम लाखनी एवं लेटकाबास के तहसील शाहपुरा में स्थित भूमि में अपीलान्त एवं अपीलान्त के भाई महादेव प्रसाद हरिप्रसाद प्रभुदयाल व हिस्सा बराबर रिकॉर्ड

खातेदार है। हरिप्रसाद प्रभुदयाल की मृत्यु हो चुकी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहां एक वाद संख्या 15/2010 बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अपीलान्ट ने अपने तीन भाईयों के विरुद्ध पेश किया था जो सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां विचाराधीन हैं, जिसमें हरिप्रसाद एवं प्रभुदयाल के वारिसान् रिकॉर्ड पर आ चुके हैं खाते की शामिल भूमि होने से उन्हें रहन बेचान करने हेतु पाबन्द भी किया हुआ है। प्रभुदयाल के पुत्र गोपाल कृष्ण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर मु.नं. 7/12 अन्तर्गत धारा 135(2) एल.आर एक्ट की कार्यवाही में एक अपंजिकृत वसियत दिनांक 07/12/2010 बतायी जाकर उक्त वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार शाहपुरा ने दिनांक 17/5/2012 को आवेदक गोपाल कृष्ण पुत्र प्रभुदयाल के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश की पालना में गोपाल कृष्ण पुत्र प्रभुदयाल के नाम नामा.सं. 651 ग्राम लेटकाबास दर्ज किया है, जो तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार से बहार जाकर बिना सुने बिना नोटिस जारी किये मनमाने तरीके से प्रकरण में 17/5/2012 को आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दर्ज प्रकरण संख्या 6/12 व 7/12 में कार्यवाही अन्तर्गत 135(2) एल. आर एक्ट में हरिप्रसाद के द्वारा 07/12/2010 अपंजिकृत वसीयत बतायी जाकर इसी प्रकार प्रभुदयाल के द्वारा 07/12/2010 की अपंजिकृत वसीयत बतायी जाकर उक्त अपंजिकृत वसियत के आधार पर उक्त दोनों प्रकरणों में तहसीलदार द्वारा 17/5/2012 को आदेश पारित किये हैं। उक्त आदेश की पालना में नामा.सं. 650 व 651 दिनांक 17/5/2012 को रेस्पोजेन्ट के पक्ष में निष्पादित कर तस्दीक कर दिये। उक्त प्रकरणों में क्रमशः सीताराम व गोपाल कृष्ण एक दूसरे के गवाहन हो गये जबकि तहसीलदार को सही तरिके से पत्रावली का अवलोकन कर एवं वसीयतनामा 07/12/2010 तथा शपथ-पत्रों का सही तरिके से अवलोकन कर ही निर्णय पारित करना साहिए था। केवल अपंजिकृत वसियतनामा के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 17/5/2012 को आदेश पारित किये हैं तथा उन आदेशों की पालना में उक्त नामा.सं. 650 व 651 दर्ज किये जो चलने योग्य नहीं हैं तथा न्यायालय में विचाराधीन होते हुए नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही की है वह उचित एवं न्याय संगत नहीं है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामा.सं. 651 ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा विरुद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा 7/12 गोपाल कृष्ण बनाम सरकार आदेश दिनांक 17/5/2012 निरस्त फरमावें।

वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत बहस में अपीलान्ट के कथनों को खण्डन करते हुए अभिकथन किया है कि उक्त नामा. सं. 651 खातेदार प्रभुदयाल पुत्र कन्हैयालाल के नाम दर्ज 1/4 भाग की खातेदरी अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं अर्जित भूमि मानते हुए प्रभुदयाल द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर बाद जांच कर दिनांक 17/5/2012 को गोपाल कृष्ण नाम के आदेश पारित किया है, जिसमें अन्य वारिसान् का अनापत्ति प्रमाण-पत्र है। उक्त नामा.सं. 651 ग्राम लेटकाबास खातेदार प्रभुदयाल के 1/4 हिस्से भाग का उनके पुत्र गोपाल कृष्ण के नाम प्रभुदयाल द्वारा की गयी वसीयतनामा के आधार पर उक्त नामा. तहसीलदार शाहपुरा के आदेश 17/5/2012 के आदेशों से खोला गया है। अपीलान्ट ना तो प्रभुदयाल का वारिस है ना ही अपीलान्ट का उक्त नामा. से हक प्रमाणित हो रहा है। इसलिए अपीलान्ट को उक्त आदेश एवं नामा. बाबत अपील करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही सुना जाना एवं सुचित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा अपील को अन्दर मियाद पेश करना बताया है, जो पूर्णतया गलत है। क्योंकि अपीलान्ट को उक्त नामा. की शुरु से ही जानकारी रही है। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित आदेश 17/5/2012 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर 06/02/2013 को नकल प्राप्त

की है। इस प्रकार अपीलान्त द्वारा मियाद बहार अपील पेश की है जो देशी से पेश अपील को कन्डोन नहीं किया जा सकता। अतः अपील चलने योग्य नहीं है। उक्त अपील को खारिज फरमावे।

चूँकि प्रार्थी गोपाल कृष्ण पुत्र प्रभुदयाल निवासी लाखनी तहसील शाहपुरा द्वारा अपजिकृत वसीयतनामा प्रभुदयाल पुत्र कन्हैयालाल जोशी द्वारा लिखी अपजिकृत वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष प्रार्थना-पत्र पेश करने पर प्रकरण संख्या 7/2012 दर्ज कर 135(2) के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पन्न होना पाया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्राप्त होने पर 135(2) के अन्तर्गत कार्यवाही में वसीयतनामा के आधार पर तथा प्रभुदयाल पुत्र कन्हैयालाल के वारिसान द्वारा अनापित्त प्रमाण-पत्र पेश होने पर उक्त प्रमाण-पत्र में अंकन कराया गया है कि हमारे स्व. श्री प्रभुदयाल जोशी (शर्मा) की वसीयत के अनुसार हम गोपाल कृष्ण शर्मा को ही इस कृषि भूमि का पूर्ण वारिस मानते हैं। हमारे द्वारा भविष्य में किसी प्रकार की उज्र एवं आपत्ति नहीं होगी। हमारे पिताजी की भूमि ग्राम लेटकाबास के स्थान पर सम्पूर्ण अधिकार होगा। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपजिकृत वसीयतनामा 07/12/2010 के आधार पर ग्राम लेटकाबास व ग्राम लाखनी तहसील शाहपुरा स्व. प्रभु दयाल पुत्र कन्हैयालाल के स्थान पर गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र स्व. प्रभुदयाल के नाम नामा. दर्ज करने के आदेश दिया जाना दिनांक 17/5/2012 को प्रमाणित है जो तहसीलदार शाहपुरा द्वारा साक्ष्य सबूत वसीयतनामा अनापित्त प्रमाण-पत्र आदि सम्पूर्ण दस्तावेजात् का सम्पूर्ण तरिके से अवलोकन एवं परिक्षण कर दिनांक 17/5/2012 को निर्णय पारित किया गया है जो उचित एवं न्याय संगत है। उक्त आदेश की पालना में उक्त नामा.सं. 651 वाके ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा गोपाल कृष्ण के नाम खोला जाकर दिनांक 07/6/2012 को स्वीकार किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 17/5/2012 पर किसी प्रकार की टिप्पणी एवं हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। इसलिए अपीलान्त की अपील अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज कर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 07/2012 गोपाल कृष्ण शर्मा बनाम राज. सरकार में पारित आदेश 17/5/2012 की अनुपालना में स्वीकार नामा.सं. 651 वाके ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा को यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

12. यह निर्णय आज दिनांक 19.2.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)